दिनांक–15.09.2026 को सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राँची की अध्यक्षता में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण हेतु झारखण्ड राज्य सोशल ऑडिट सोसायटी के साथ आहूत बैठक की कार्यवाहीः–

उपस्थितिः– विवरणी संलग्न।

दिनांक 15.09.2026 को विभागीय सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत विभागान्तर्गत संचालित योजनाओं एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण हेतु झारखण्ड राज्य सोशल ऑडिट सोसायटी, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के साथ बैठक आहूत की गयी, जिसमें योजनाओं के संदर्भ में विचार विमर्श किया गया तथा कतिपय निदेश दिये गये।

बैठक के दौरान उपस्थित निदेशक, झारखण्ड राज्य सोशल ऑडिट सोसायटी से पृच्छा की गयी कि प्रशासी विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों के किन–किन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण किया गया है अथवा कराया जा रहा है।

इस संबंध में उनके द्वारा बताया गया कि मध्याह्न भोजन योजना, मैया सम्मान योजना आदि का सामाजिक अंकेक्षण कराया जा रहा है तथा वर्तमान में भी प्रक्रियाधीन है।

अवगत कराया गया कि विभागान्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत संचालित केन्द्र प्रायोजित योजना, झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, पी०वी०टी०जी० डाकिया योजना, सोना–सोबरन धोती–साड़ी वितरण योजना का सामाजिक अंकेक्षण कराया जाना है। यदि उक्त योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण ससमय एवं सफलतापूर्वक पूर्ण किया जाता है तो अन्य योजनाओं का भी सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

सचिव महोदय द्वारा पूछा गया कि उक्त योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण हेतु सोसायटी के पास पर्याप्त मानवबल एवं संसाधन उपलब्ध हैं अथवा नहीं।

इस संदर्भ में निदेशक, झारखण्ड राज्य सोशल ऑडिट सोसायटी द्वारा बताया गया कि मुख्यालय स्तर पर मानवबल की कमी हैं। मानवबल की पूर्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है तथा शीघ्र ही नियुक्ति कर ली जायेगी। इसके अतिरिक्त पर्याप्त मात्रा में सर्वेयर उपलब्ध हैं।

उक्त विचार विमर्श के आलोक में निम्नलिखित निदेश दिये गयेः–

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत संचालित केन्द्र प्रायोजित योजना, झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, पी०वी०टी०जी० डाकिया योजना, सोना–सोबरन धोती–साड़ी वितरण योजना के लाभुक एक ही हैं। अतः सामाजिक अंकेक्षण का कार्य एक साथ कराया जा सकता है। उक्त के आधार पर प्रश्नावली (Questionaire) एवं नमूना (Sample Size) तैयार कर लिया जाय। इसके लिए विभागीय पदाधिकारियों एवं कर्मियों के साथ बैठक कर सहयोग प्राप्त किया जाय।

2. सामाजिक अंकेक्षण हेतु प्रत्येक जिला के एक–एक प्रखण्ड/पंचायत का चयन किया जा सकता है, जिसमें इस बात का ध्यान रखा जाय कि सभी वर्गों के लाभुक शामिल हो, यथा– अनुसूचित जनजाति बहूल क्षेत्र, अनुसूचित जाति बहूल क्षेत्र, पिछड़ा वर्ग बहुल क्षेत्र आदि, ताकि सभी स्तर के लाभुकों को सामाजिक अंकेक्षण में शामिल किया जाना संभव हो सके।

3. उक्त के आधार पर वित्तीय व्यय भार की गणना करते हुए आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय। उक्त राशि का वहन योजनान्तर्गत आवंटित राशि से किया जायेगा।

4. सामाजिक अंकेक्षण हेतु समय–सीमा भी निर्धारित की जाय, जिसमें प्रत्येक स्तर की प्रगति शामिल हो ताकि विभाग स्तर से भी समीक्षा की जा सके। इस हेतु अधिकतम 6 माह में कार्य पूर्ण कराये जाने का ध्यान रखा जाय।

5. यदि आवश्यक हो तो बाह्य स्त्रोत से विशेषज्ञों (Economist/Statistician) की सेवा प्राप्त की जाय तथा एक कार्यशाला का भी आयोजन किया जाय जिसमें विभागीय पदाधिकारियों के साथ जिला आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, गोदाम प्रबंधक, जन वितरण प्रणाली विक्रेता भी शामिल हो और सामाजिक अंकेक्षण हेतु समुचित सहयोग मिल सके।

सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

25.9.26

(राजेश कुमार शर्मा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–खा०प्र०–01/NFSA-CSS/1–5/2026.....2629...../राँची, दिनांक–25/9/2026

प्रतिलिपिः– निदेशक, झारखण्ड राज्य सोशल ऑडिट सोसायटी, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव कोषांग/संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/संबंधित कम्प्युटर ऑपरेटर (श्री मुकेश कुमार), खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.9.26

सरकार के सचिव